सं. एफ. 9-68/2005-एस एण्ड एफ
भारत सरकार
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,
दिनांक : 30 नवम्बर, 2005

सेवा में,

लेखा अधिकारी,
वेतन और लेखा कार्यालय
(अनुभाग) संस्कृति
नई दिल्ली.

विषय : मुध्रा, चेन्नई को वित्तीय सहायता की मंजूरी।

महोदय,

मुझे **राष्ट्रीय वीणा उत्सव के दौरान वीणा उत्सव के संबंध में दो दिवसीय संगोष्ठी के लिए मुध्रा, चेन्नई** के पक्ष में 1,00,000/- रु. **(केवल एक लाख रुपए)** के अनुदान हेतु भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी प्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. उपर्युक्त अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है :-

i. अनुदान 1,00,000/- रु. अथवा वास्तविक व्यय के 75%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

ii. अनुदान का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए उसे मंजूर किया गया था।

iii. अनुदान हेतु एक पृथक् लेखा रखा जाएगा, जिसकी लेखा-परीक्षा किसी भी समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

iv. उपर्युक्त अनुदान के संबंध में लेखा परीक्षित लेखाओं और किसी सनदी लेखाकार द्वारा यथाविधि हस्ताक्षरित इस आशय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे मंजूर किया गया था, इस मंत्रालय को प्रस्तुत करना चाहिए।

v. अनुदानग्राही (संगठन) निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतिभू के साथ भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में एक बांड भरेगा, जिसमें यह उपबंध होगा कि वह अनुदान की शर्तों का पालन करेगा।

vi. संगठन संघ सरकार की राजभाषा नीति का पूर्णतः कार्यान्वयन करेगा अर्थात् संगठन राजभाषा (संघ नियम, 1976 के सरकारी प्रयोजनों के इस्तेमाल इत्यादि) का साथ पूर्णतः देगा।

vii. वित्त मंत्रालय द्वारा अनुदान/व्यय के प्रतिरूप को अनुमोदित कर दिया गया है। मंजूरी को, वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित स्कीम के नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

viii. यह एक अनावर्ती अनुदान है। पिछले अनुदान का कोई अव्ययित शेष नहीं है। उपयोग प्रमाण–पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है।

3. मुझे उपर्युक्त अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में **75,000/– रु. (केवल पचहत्तर हजार रु.)** की धनराशि के भुगतान के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी संप्रेषित करने का निदेश हुआ है। लेखाओं के लेखा–परीक्षित ब्यौरे और अनुदान जारी होने के पश्चात् छः माह के भीतर अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् शेष अनुदान जारी करने पर विचार किया जाएगा।

4. उपर्युक्त अनुदान संबंधी व्यय को मुख्य शीर्ष '2205' माँग सें. 20 – कला और संस्कृति – 04.18.31 – सहायता अनुदान 2005–06 (योजना) के नामे डाला जाएगा।

5. **75,000/– रु. (पचहत्तर हजार रुपए केवल)** की धनराशि को वितरण और आहरण अधिकारी (अनुदान), संस्कृति मंत्रालय द्वारा **सचिव, मुध्रा, चेन्नई** को सीधे भुगतान के लिए आहरित किया जाएगा।

6. यह मंजूरी पी एंड बी की उनकी दिनांक 25.11.2005 की डायरी सं. 947/पी एंड बी/2005 द्वारा और आई एफ डी की उनकी दिनांक 25.10.2005 की डायरी संख्या 2866/आई एफ डी/2005 द्वारा दी गई स्वीकृति से जारी की गई है।

भवदीय

(अरुण मलिक)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :–</u>

1. वितरण और आहरण अधिकारी (अनुदान), संस्कृति मंत्रालय (अतिरिक्त प्रति सहित) को आवश्यक कार्रवाई हेतु। अनुदान का भुगतान सचिव, मुध्रा, ओल्ड सं. 118 ए (नया नंबर 26), रामनाइकेन स्ट्रीट, नुंगामबक्कम, चेन्नई–600034 को किया जाए।

2. सचिव, मुध्रा, ओल्ड सं. 118 ए (नया नंबर 26), रामनाइकेन स्ट्रीट, नुंगामबक्कम, चेन्नई–600034.

अनुदान को प्राप्त करने के लिए अनुदान के निबंधन और शर्तों को स्वीकार करते हुए और संगठन/सोसाइटी के महासचिव/सचिव/अध्यक्ष को समिति की ओर से उपयुक्त बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करते हुए कार्यकारिणी समिति द्वारा यथाविधि अधिप्रमाणित संकल्प की एक प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविधि पूर्ण और हस्ताक्षरित बांड (संलग्न प्रपत्र) इस विभाग को भेजा जाए। निधारित प्रपत्र (संलग्न) में अग्रिम पावती तुरंत भेजी जाए, ताकि संस्कृति विभाग अनुदान को मंजूर कर सके।

3. ए जी सी आर (विशेष प्रकोष्ठ), आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली.

4. पी. एण्ड बी. 5. गार्ड फाइल 6. आई एफ डी

7. सचिव, संस्कृति विभाग, तमिलनाडु सरकार।

(अरूण मलिक)
अवर सचिव, भारत सरकार